INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF HUMANITIES AND INTERDISCIPLINARY STUDIES
(Peer-reviewed, Refereed, Indexed & Open Access Journal)
DOI : 03.2021-11278686 ISSN : 2582-8568 IMPACT FACTOR : 5.71 (SJIF 2021)

भारत में महिला शिक्षा का विकास

डॉ. के. आर. काक

(सहायक आचार्य)

विद्या भवन गोविन्दराम सेकसरिया शिक्षक महाविद्यालय, उदयपुर (राजस्थान)

DOI No. 03.2021-11278686 **DOI Link ::** http://doi-ds.org/doilink/05.2021-71235631/IRJHIS2105022

सारांश :

शिक्षा नारी की अंतर्दृष्टि को जागृत कर दूर दृष्टि को विकसित करती है। व्यक्तित्व को जागरूक और आत्मनिर्भर बनाती है तथा उसके रोजमर्रा के क्रियाकलापों को सुगम और सुविधा पूर्ण बनाती है। वहीं शिक्षा के अभाव में नारी को पग-पग पर बाधाओं तथा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्राचीन समय से ही भारतीय समाज में महिलाओं की शिक्षा के लिए व्यवस्था थी। वैदिक काल में शिक्षित महिलाओं में विश्ववारा आत्रेयी, अपाला, घोषा काक्षीवती, रात्रि भारद्वाजी, श्रद्धा कामायनी, शची पौलोमी, लोपामुद्रा, रोमशा के नाम प्रमुखतया उल्लेखनीय है। जैन एवं बोद्ध काल में संघमित्रा, सुगीता, अनुपमा एवं सुमेधा शिक्षित एवं महान धर्म प्रचारक नेता थी। मुस्लिम काल में महिला शिक्षा में कमी आई लेकिन फिर भी सामान्यतः शासक और उच्चवर्गों के लोग अपनी पुत्रियों और बहनों को शासनकार्य में प्रशिक्षित करते थे। यही कारण है कि कुछ महिलाएं गुलबदन बेगम, सलिमा सुल्ताना, नूरजहाँ, मुमताज महल, जहांआरा बेगम जेबुन्निसा आदि उच्च शिक्षा संपन्न थी। उपनिवेशकाल में लड़कियां विद्यालय में प्रवेश लेती थी। प्रोटेस्टेंट तथा कैथोलिक मिशनरियों ने महिला शिक्षा के प्रसार के कुछ प्रयास अवश्य किए। इस पत्र में वैदिक काल से लेकर वर्तमानकाल तक महिला शिक्षा के विकास को जानने का प्रयास किया गया है।

प्रस्तावना :

किसी भी राष्ट्र का उत्थान तथा पतन उस राष्ट्र की महिलाओं की स्थिति पर काफी अंशो पर निर्भर करता है। पण्डित नेहरु ने कहा था, "कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज भारत की प्रगति उसकी महिलाओं की स्थिति से मापी जा सकती है।" प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थितिअच्छी थी। मनुस्मृति में तो यहाँ तक कहा गया था, "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता।" शिक्षा के द्वारा मनुष्य का मानसिक विकास होता है। शिक्षा ही सफलता की कुंजी है। शिक्षा के बिना मनुष्य जीवन अधूरा शिक्षित व्यक्ति आत्मनिर्भर एवं आत्मविश्वास होने के साथ जीवन के हर पहलू को समझने

एवं सोचने की क्षमता रखता है। महात्मा गांधी ने महिलाओं की शिक्षा पर जोर देते हुए कहा था कि अगर पुरुष शिक्षित होता तो वह केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए शिक्षित होता है लेकिन यदि महिला शिक्षित होती हैं तो पूरा परिवार शिक्षित माना जाता है।

महिला शिक्षा का इतिहास अत्यंत प्राचीन वैदिक कालीन शिक्षा में पुरुषों के समान महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार था। मध्यकाल में लगभग 600 वर्ष तक मुस्लिम शासकों ने शासन किया। तत्पश्चात करीब 200 वर्ष तक ब्रिटिश शासन रहा। इस प्रकार शिक्षा विदेशी शासकों से अधिक प्रभावित रही। महिला शिक्षा को चार कालों में विभक्त किया जा सकता है- (i) प्राचीन काल में महिला शिक्षा (ii) जैन एवं बौद्ध काल में महिला शिक्षा (iii) मध्यकाल अथवा मुस्लिम काल में महिला शिक्षा (iv) उपनिवेश काल में महिला शिक्षा (v) स्वतंत्र भारत में महिला शिक्षा।

प्राचीन काल में महिला शिक्षा :

वैदिक युग के कालक्रम को 1500 ई.पूर्व से लेकर 600 ई.पूर्व माना गया है। वैदिक युग की जानकारी का प्रमुख स्त्रोत ऋग्वेद है जिसके द्वारा हमें उस समय की शिक्षा व्यवस्था का ज्ञान होता है। भारतीय भाषाओं में सबसे प्राचीन ग्रन्थ ऋग्वेद है। अतीत काल में महिला शिक्षा ने अत्यधिक प्रगति की थी। वैदिक काल में भारतीय नारी पुरुषों की शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। भारत में महिला शिक्षा का इतिहास प्राचीन वैदिक काल से जुड़ा हुआ है। उल्लेखनीय है कि लगभग 3000 से अधिक वर्ष पूर्व वैदिक काल के दौरान महिलाओं को समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त था और उन्हें पुरुषों के समान समाज का एक महत्त्वपूर्ण अंग समझा जाता था।

ऋग्वेद में संतान के पालन- पोषण और जीवन- निर्माण का दायित्व माता-पिता का निर्धारित किया गया है। गृह संरक्षिका होने के कारण जिम्मेदारी माता की अधिक है। ऋग्वेद में पत्नी या माता के जो कर्तव्य गृह संरक्षण के बतलाए गए हैं, उनके विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि ऋग्वेद नारी सुशिक्षित स्त्री है। उसने विद्याओं का ज्ञान भी अर्जित किया है और कलाओं की निपुणता भी। ऋग्वेद काल में स्त्रियां पुरुषों के समान उच्च शिक्षा प्राप्त करती थी, यह बात स्त्री के लिए प्रयुक्त विशेषणों हो और अनेक उदाहरणों से पुष्ट होती है। ऋग्वेद १०.१५६.२ में नारी ने आत्म गौरव पूर्वक घोषणा की है कि मैं "ज्ञानवती" हूँ, घर की प्रमुख और शत्रुनाशिका हूं। ५.४१.७ में सुशिक्षित स्त्री के लिए "विदुषी"= "पूर्ण विद्यायुक्त स्त्री" प्रयोग किया है और "उषासांकता" को उस विदुषी स्त्री के समान यज्ञ को धारण करने का उपदेश दिया है। इसी प्रकार देवी(विद्या आदि दिव्य गुणों से सम्पन्न स्त्री) और सरस्वती = प्रशस्त सर= विज्ञान है जिसमें, या तो प्रशस्त वाणी की अधिष्ठात्री हैं, वह आदि शब्द भी स्त्री के शिक्षित होने के संकेत हैं। सुशिक्षा के कारण ही ऋग्वेद में अनेक मन्त्रद्रष्टि ऋषिकाओं का उल्लेख आता है, जिन्होंने मंत्रदर्शन में ऋषियों समकक्षता प्राप्त की थी। उनमें विश्ववारा आत्रेयी, अपाला, घोषा काक्षीवती, रात्रि भारद्वाजी, श्रद्धा कामायनी, शची पौलोमी, लोपामुद्रा, रोमशा के नाम प्रमुखतया उल्लेखनीय है।

ऐतिहासिक मतान्तर से यह ऋषिकाएँ वेदमंत्रों की रचयित्री है। इनमें से विश्ववारा आत्रेयी ने ५.२८, अपाला ८.६१ और घोषा ने १०.३६, सूक्तों की स्वतंत्र रूप रचना की। १.१७६.१-२ मंत्रो की ऋषिका अगस्त्यपत्नी लोपामुद्रा को १.१२६.७ की भावयव्य की पत्नी रोमशा को, १०.६०.६ की ऋषिकाअगस्त्य की बहन को माना है। इनके अतिरिक्त कुछ स्त्रियों द्वारा देवों की स्वतंत्र रूप से स्तुति किये जाने का भी वर्णन है।

अथर्ववेद ने इस परम्परा की पुष्टि अत्यंत स्पष्ट शब्दों में की है और विद्याप्राप्ति की पद्धति का भी उल्लेख किया है। ब्रह्मचर्यं सूक्त में वर्णित है कि युवकों के समान युवतियाँ ब्रह्मचर्यपूर्वक विद्याध्ययन कर अपने योग्य युवकों का वरण करती है। स्त्रियों की उच्च शिक्षा की परम्परा उत्तरवर्ती काल तक उपलब्ध होती है। ऐतरेय तथा कौषितकी ब्राह्मणों में कुमारी गन्धर्वगृहीता का मत अग्निहोत्रके समय के विषय में प्रमाणरूप से उद्धृत किया है। उपनिषदों और सूत्रग्रंथो में भी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख हुआ है। वृदारण्यकउपनिषद के अनुसार गार्गी वाचकनवी ने महाराज जनक के दरबार में याज्ञवलक्य ऋषि से ब्रह्मविद्या के विषय में ऐसे गंभीर प्रश्न पूछे थे कि उन्हें यह कहकर उससे बचाव किया कि तुम ऐसे विषय में प्रश्न कर रही हो जिसके बारे में बहुत अधिक प्रश्न नहीं करने चाहिए। इसके अतिरिक्त स्तरीय पाककला, बुनना-कातना, युद्धविद्या आदि कलाओं का ज्ञान भी प्राप्त करती थी। इनसे स्पष्ट होता है कि शैक्षणिक दृष्टि से स्त्रियों की स्थिति काफी अच्छी थी और वे विविध एवं उच्च शिक्षाएँ प्राप्त करती थी।

जैन एवं बौद्ध काल में महिला शिक्षा :

बौद्ध काल में महिला शिक्षा ने नवीन आयाम प्राप्त किए। इस युग में महिला शिक्षा को उचित रूप से नियोजित किया गया था। महावीर और गौतम बुद्ध ने संध मे नारियों के प्रवेश की अनुमति दी थी, ये धर्म और दर्शन के मनन के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती थी। जैन और बौद्ध सहित्य से पता चलता है कि कुछ भिक्षुणियों ने साहित्य के विकास और शिक्षा में अपूर्व योगदान दिया। कई महिलाएं बौद्ध धर्म एवं दर्शन की आजीवन छात्राएं बन गई थी। जिसमें अशोक की पुत्री संघमित्रा प्रमुख थी। यहाँ बौद्ध आगमों की महान शिक्षिकाओं के रूप में उनकी बड़ी ख्याति थी। जैन साहित्य से जयंती नामक महिला का पता चलता है जो धर्म और दर्शन के ज्ञान की प्यास में अविवाहित रही और अंत में भिक्षुणी हो गई। सुगीता, अनुपमा एवं सुमेधा बौद्ध धर्म के प्रचार के महान नेता थी। बौद्ध धर्म के पतन के पश्चात हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के समय महिला शिक्षा की प्रगति अवरुद्ध हो गई हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के प्रवर्तक शंकराचार्य महिला शिक्षा के पक्ष में नहीं थे, अतः महिला शिक्षा बाधित हुई।

मध्यकाल अथवा मुस्लिम काल में शिक्षा :

भारतीय इतिहास में मध्यकाल को दो भागों सल्तनत काल एवं मुग़ल काल में विभक्त किया गया है। सल्तनत काल गुलाम वंश से प्रारम्भ होकर लोदी वंश तक सल्तनत काल एवं बाबर से अंग्रजी शासन से पूर्व तक मुग़ल काल के रूप मध्यकाल जाना जाता है। मध्यकाल में स्त्रियों की

शिक्षा की प्रगति शासकों एवं समृद्ध लोगों के संरक्षण में धीमी गति से हुई । शासकों एवं अन्य शिक्षा प्रेमी व्यक्तियों ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया।

मजूमदार राय चौधरी व दत्त ने लिखा है- "प्राय: प्रत्येक मस्जिद से संलग्न मकतब होता था, जिसमें आस-पास के बालक और बालिकाएँ प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करते थे। शाही घराने और धनी अमीरों की लड़कियां अपने घरों में ही शिक्षा प्राप्त करती थी। हिंदुओं में मध्यम वर्ग के व्यक्तियों की लड़कियां स्कूल में लड़कों के साथ प्राथमिक पाठशाला में शिक्षा प्राप्त करती थी एवं उनमें से कुछ को धार्मिक साहित्य का ज्ञान था।"

हिन्दू और मुस्लिम स्त्रियों ने धार्मिक और उच्च प्रकार की साहित्यिक कृतियों में रूचि ली। इन सबके बावजूद विदूषी हिन्दू स्त्रियों का अभाव ही रहा। जिसका प्रमुख कारण पर्दाप्रथा और बाल विवाह था। इसका अर्थ यह नहीं है कि उस समय अच्छे शैक्षिक संस्थान पर्याप्त मात्रा में नहीं थे। सच पूछा जाय तो उनकी शिक्षा की उपेक्षा की जाती थी। इब्नबतूता हनौर के शासक को महान शिक्षाप्रेमी बताते हुए कहता है कि हनौर की सारी महिलाओं ने कुरान रट डाला था, वहाँ लड़कों के लिए 23 और लड़कियों के लिए 13 विद्यालय स्थापित थे। वाकियात-इ-मुस्तौकी का लेखक शेख रिजकुल्ला लिखता है कि इस अवधि में शिक्षा की स्वच्छ धारा पूर्वकाल की तरह ही प्रवाहित हो रही थी। स्त्रियों को सामान्य पाठ्यक्रम के अनुसार ही पढ़ाया जा रहा था तथा साथ ही उन्हें विभिन्न कलाओं और विज्ञानों की भी शिक्षा दी जाती थी।

सामान्यतः शासक और उच्चवर्गों के लोग अपनी पुत्रियों और बहनों को शासनकार्य में प्रशिक्षित करते थे। यही कारण है कि कुछ महिलाएं गुलबदन बेगम, सलिमा सुल्ताना, नूरजहाँ, मुमताज महल, जहांआरा बेगम जेबुन्निसा आदि उच्च शिक्षा संपन्न थी।

विभिन्न परिवारों की स्त्रियों के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था न थी तथा लड़को की तुलना में लड़कियों की शिक्षा की सुविधाएँ नगण्य थी। इसका एक कारण यह था कि स्वयं लड़कियों के अभिभावक स्त्री शिक्षा के विरुद्ध थे और स्त्रीशिक्षा के मार्ग में उनके सामाजिक बाध्यताएँ एवं पूर्वाग्रह वास्तविक बाधक थे। पर्दाप्रथा एक ऐसी ही सामाजिक बाध्यता थी जिसके अधीन स्त्रियों को घर की चाहरदीवारी के अंदर बंद रहना पड़ता था। सुसंस्कृत और उच्चवर्गों की हिन्दू एवं मुस्लिम महिलाएँ बाहरी आदमियों और अपने ही परिवार के बुर्जुग सदस्यों के समक्ष नहीं आ सकती थी। इस सामाजिक बाध्यता के कारण स्त्रियों की शिक्षा के लिए इच्छुक अभिभावक भी खुद अपने परिवार की स्त्रियों को सर्वांगपूर्ण शिक्षा देने से वंचित रहते थे। इसलिए स्वभावतः प्रचलित सामाजिक परम्पराओं के कारण उनकी बौद्धिक क्षमताएँ विकसित नहीं हो पाती थी।

बालविवाह हिन्दू एवं मुस्लिम सम्प्रदायों में महिला शिक्षा के लिए एक बड़ी बाधा थी क्योंकि विवाह के बाद लड़कियों को शिक्षा का अवसर ही नहीं मिल पाता था। ऐसे सामाजिक परिवेश में मध्य आयुवाली महिलाओं को साक्षरता की उत्कृष्ट उपलब्धियों तक पहुँच पाना असंभव था। सामुहिक निरक्षरता के कारण समाज उपर्युक्त बुराईयों में जकड़ा हुआ था।

गाँववालों और निचले वर्गों की महिलाओं को तो शिक्षा प्राप्त करने में और भी असुविधायें थी। वे घरेलू काम-काज के बोझ से इतनी दुःखी होती थी कि उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अवसर ही नहीं मिल पाता था।मध्यकाल में व्यापक स्तर पर स्त्री शिक्षा व्यवहारतः एक अनजानी चीज थी। शिक्षा केवल शाही और अभिजात वर्गो की महिलाओं तक ही सीमित थी। कुछ हद तक समाज के मध्यवर्ग की स्त्रियाँ भी शिक्षा प्राप्त करने में सफल हो जाती थी पर जहाँ तक निर्धन एवं निचले वर्गों की महिलाओं का सम्बन्ध था, वे अपना पेट पालने में ही व्यस्त रहती थी और बौद्धिक प्रशिक्षण के लिए समय नहीं निकाल पाती थी।

हिन्दू महिलाओं को सुसंस्कृत बनाने के प्रति ध्यान न देते थे। फलतः लड़कियाँ निरक्षरता में पलने-बढ़ने को बाध्य थी जो भी थोड़ी बहुत बौद्धिक शिक्षा उन्हें मिल पाती थी वह भी अपनी माँ से। वह शिक्षा अनेक विषयों के सम्बन्ध में होती थी और मौखिक रूप से दी जाती थी। विशेषकर मध्यवर्ग की हिन्दू लड़कियों को अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाने की बहुत कम सुविधायें मिल पाती थी। यद्यपि उच्चवर्गों की कुछ महिलायें राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में अत्यंत सक्रिय और साहित्यिक कार्यकलाप में पूर्णतः निपुण थी, पर सामान्य परिवार की लड़कियाँ अधिकांशतः अशिक्षित ही रह जाती थी।

ब्रिटिश काल में महिला शिक्षा :

मुसलमानों के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना शासन स्थापित किया कंपनी सरकार ने महिला शिक्षा के प्रति उपेक्षा का भाव दिखाया। इस शासनकाल में लड़कियां विद्यालय में प्रवेश लेती थी। प्रोटेस्टेंट तथा कैथोलिक मिशनरियों ने महिला शिक्षा के प्रसार के कुछ प्रयास अवश्य किए। सन1850 में ही सर्वप्रथम महिला शिक्षा के प्रसार में सरकार की सहायता प्राप्त हुई।सन 1854 के वुड डिस्पेच के अनुसार मद्रास में लड़कियों की स्कूल की संख्या 256, मुंबई में 65, बंगाल में 288, तथा उत्तर- पश्चिम सीमांत प्रांत में 17 थी। घोषणा पत्र के द्वारा सरकार ने महिला शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता का वचन दिया और सीधी कार्रवाई करने का भी वचन दिया।

सन 1882 तक लड़कियों के लिए 2600 प्राथमिक विद्यालय, 81 उच्च माध्यमिक विद्यालय, 15 शिक्षण संस्थाएं तथा एक महाविद्यालय स्थापित हो चुके थे।सन 1882 के हंटर आयोग ने सुझाव दिया था कि पब्लिक फंड का अधिकांश भाग महिला शिक्षा में लगाना चाहिए और उसके लिए उदारता पूर्वक सहायता अनुदान देना चाहिए। इसके अतिरिक्त ब्रह्म समाज, पारसियों तथा भारतीयों ईसाईयों ने भी लड़कियों के लिए विद्यालय खोलने की होड़ सी लगा ली। परिणामस्वरूप 1902 के अंत में 12 महिला महाविद्यालय, 468 माध्यमिक विद्यालय, 5650 प्राथमिक विद्यालय, 45 प्रशिक्षण संस्थान महिलाओं के लिए स्थापित किए जा चुके थे। 1901-02 में 76 महिलाएं मेडिकल कॉलेज में तथा 166 मेडिकल विद्यालयों में थी। उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में महिला

शिक्षा के सभी स्तरों पर विशेष प्रगति हुई। सन 1916 में महिलाओं के लिए पहला मेडिकल कॉलेज दिल्ली की स्थापना हुई तथा इसी वर्ष महिला विश्वविद्यालय एस.एन.डी.टी. की मुंबई में स्थापना की गई। सन 1917 में श्रीमती एनी बेसेंट की अध्यक्षता में भारतीय महिला संगठन की स्थापना की गई जिसका मुख्य उद्देश्य महिला शिक्षा का प्रसार करना था

महात्मा गांधी की शिक्षा भारतीय महिला जागृति, वैवाहिक अवस्था में सुधार तथा प्रांतीय स्वायत्तता (1937) के कारण महिला शिक्षा के लिए उपयोगी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई। सन 1946-47 में लड़कियों के लिए शिक्षण संस्थाएं इस प्रकार थी- 21479 प्राथमिक विद्यालय, 2370 माध्यमिक विद्यालय, 4288 व्यवसायिक एवं तकनीकी संस्थान, 59 कला और विज्ञान महाविद्यालय। इस काल में सह-शिक्षा की प्रवृत्ति का भी विकास हुआ। सन 1947 में 50% लड़कियां मिश्रित विद्यालयों में ही शिक्षा ग्रहण करती थी। गौरतलब है कि महिलाओं की समग्र साक्षरता दर वर्ष 1882 में 0.2 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1947 में 6 प्रतिशत हो गई।

स्वतंत्र भारत में महिला शिक्षा का विकास :

निम्नाकिंत सारणी से स्पष्ट है कि स्वतंत्रता के बाद 1951 से 2011 के मध्य महिला शिक्षा निरन्तर सुधार हुआ है।

क्र.स.	जनगणना वर्ष	व्यक्ति (कुल)	पुरुष	महिलाएं	महिलाओं और पुरुषों की साक्षरता दर में अंतर
1.	1951	18.33	27.16	8.86	18.30
2.	1961	28.3	40.4	15.35	25.05
3.	1971	34.45	45.96	21.97	23.98
4.	1981	43.57	56.38	29.76	26.62
5.	1991	52.21	64.13	39.29	24.84
6.	2001	64.83	75.26	53.67	21.59
7.	2011	74.04	82.14	65.46	16.68

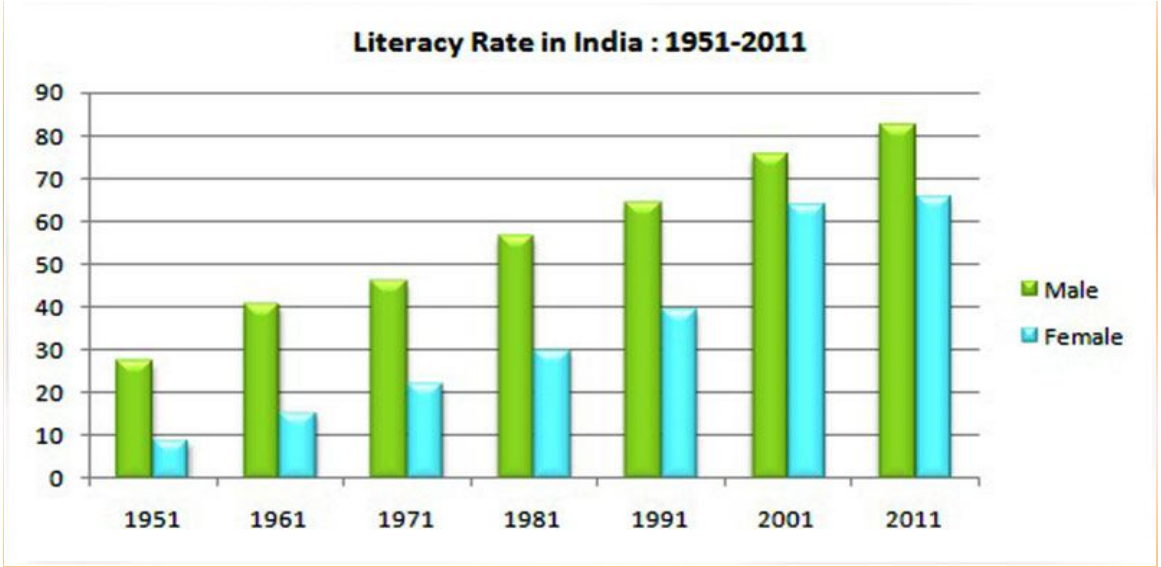

उपर्युक्त सारणी एवं आरेख से सपष्ट है कि वर्तमान में भी भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर काफी कम है। जनगणना आँकड़े यह भी बताते हैं कि देश की महिला साक्षरता दर (65.46 प्रतिशत) देश की कुल साक्षरता दर (74.04 प्रतिशत) से भी कम है।

स्वतंत्र भारत में महिला शिक्षा हेतु प्रयास:

15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तो स्त्रियों को समानता का अधिकार दिया गया। भारतीय संविधान ने नारी को समकक्षता प्रदान करते हुए घोषित किया कि " राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, जन्म-स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।"

1948 विघटित राधाकृष्णन आयोग ने स्त्री शिक्षा के संबंध में सुझाव दिए थे कि स्त्रियों के लिए शिक्षा के अधिक अवसर उपलब्ध करवाएँ जाए, बालिकाओं के लिए उनकी रूचि और आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम तैयार किए जाएं और उनके लिए शैक्षिक एवं व्यवसाय निर्देशन की उचित व्यवस्था की जाए।

माध्यमिक शिक्षा आयोग अथवा मुदालियर आयोग 1952- 1953 ने स्त्री शिक्षा के प्रसार के लिए सुझाव देते हुए कहा कि गृह विज्ञान की शिक्षा के लिए विशेष विद्यालय तथा आवश्यकतानुसार बालिकाओं के लिए अलग विद्यालय खोले जाए।

सन 1958 में भारत सरकार ने श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन किया जिसे समिति की अध्यक्षता के नाम दुर्गाबाई देशमुख समिति कहकर भी पुकारा जाता है। इस समिति का प्रमुख कार्य स्त्री शिक्षा से संबंधित विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करके उनके समाधान हेतु सुझाव देना था। समिति ने 1959 में अपना प्रतिवेदन भारत सरकार के सम्मुख प्रस्तुत किया। दुर्गाबाई देशमुख समिति ने अपने प्रमुख सुझावों में कहा कि भारत सरकार को स्त्री शिक्षा को कुछ समय के लिए एक विशिष्ट समस्या के रूप में स्वीकार करना चाहिए और उसके

प्रसार का भार अपने ऊपर लेना चाहिए, एक निश्चित अवधि के अंतर्गत निश्चित योजना के अनुरूप स्त्री शिक्षा का विकास और विस्तार करना चाहिए, केंद्रीय सरकार समस्त राज्यों के लिए स्त्री शिक्षा के विस्तार की नीति निर्धारित करनी चाहिए और उनको इस नीति का अनुसरण करने के लिए पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। समिति ने सुझाव दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा के प्रसार के लिए विशेष प्रयास किए जाए तथा साथ ही यह भी कहा कि स्त्री शिक्षा की समस्याओं पर विचार करने के लिए "राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद" की पृथक इकाई का गठन किया जाना चाहिए।

देशमुख समिति की सिफारिश को स्वीकार करके केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सन 1959 में "राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद" का निर्माण किया तथा सन 1964 में इस का पुनर्गठन किया गया। परिषद् के मुख्य कार्य विद्यालय स्तर पर बालिकाओं और प्रौढ़ स्त्रियों की शिक्षा से संबंधित समस्याओं पर सरकार को परामर्श देना, उक्त क्षेत्रों में बालिकाओं एवं स्त्रियों की शिक्षा के प्रसार एवं सुधार के लिए लक्ष्य, नीतियों, कार्यक्रमों एवं प्राथमिकताओं के विषय में सुझाव देना, उक्त क्षेत्रों में व्यक्तिगत प्रयासों का प्रयोग करने के लिए उपायों का सुझाव देना, बालिकाओं की शिक्षा के पक्ष में जनमत का निर्माण करने के लिए उचित उपायों का सुझाव देना, उक्त शिक्षा के क्षेत्र में होने वाली प्रगति का समय- समय पर मूल्यांकन करना और भावी कार्यक्रम की प्रगति पर दृष्टि रखना एवं उक्त शिक्षा से संबंधित समस्याओं पर विचार करने के लिए समय- समय पर आवश्यकता अनुसार सर्वेक्षण, अनुसंधान एवं विचार गोष्ठियों का आयोजन किए जाने की सिफारिश करना था।

सन 1962 में "राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद" ने श्रीमती हंसा मेहता की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। इस समिति ने पाठ्यक्रम के संबंध में सुझावस्वरूप कहा कि विद्यालय स्तर पर बालक -बालिकाओं के पाठ्यक्रम में कोई अंतर नहीं हो तथा भारत में जनतंत्र एवं समाजवादी समाज की स्थापना की प्रक्रिया चल रही है। अतः शिक्षा का संबंध व्यक्तिगत क्षमताओं, रुझानों तथा रुचियों से होना चाहिए, न कि लिंग भेद से।

सन 1963 में "राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद" ने चेन्नई के मुख्यमंत्री श्री भक्तवत्सलम की अध्यक्षता में ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा के पुनर्गठन हेतु सुझाव देने के लिए एक समिति नियुक्त की। इस समिति ने पाठ्यक्रम के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक सहयोग को प्रोत्साहन दिया जाए, राज्य सरकार द्वारा स्त्री शिक्षा के पक्ष में लोकमत जागृत करना चाहिए, 6 से 14 वर्ष के सभी लड़के लड़कियों के लिए अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए, लड़कियों के लिए अलग से माध्यमिक स्कूल खोले जाए तथा इनमें छात्रावास एवं आवागमन की सुविधा दी जाए, लड़कियों के लिए अलग से महिला महाविद्यालय खोले जाए एवं उनके लिए

विशेष छात्रवृत्तियों की भी व्यवस्था की जाए तथा साथ ही ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रम का आयोजन किया जाए।

सन 1964 में डॉ. दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग गठित किया गया जिसने अपना प्रतिवेदन सन 1966 में प्रस्तुत किया। आयोग ने कहा कि बच्चों के चरित्र निर्माण, परिवारों की उन्नति एवं राष्ट्रीय मानव संसाधनों के विकास के लिए स्त्रियों की शिक्षा पुरुषों की शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है। इस आयोग ने स्त्री शिक्षा हेतु प्राथमिक शिक्षा के संबंध में लड़कियों की अनिवार्य शिक्षा के लिए आधिकारिक प्रयास किए जाए, बालिकाओं को बालकों के विद्यालय में भेजने के लिए जनमत तैयार किया जाए, उच्च प्राथमिक स्तर पर लड़कियों के लिए अलग विद्यालय खोले जाए तथा बालिकाओं को मुफ्त पुस्तके , लेखन सामग्री एवं वस्त्र देकर शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित किया जाए इत्यादि सुझाव दिए। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के संबंध में बालिकाओं के लिए पृथक विद्यालय की स्थापना की जाए, जहां यह संभव नहीं है, वहां के विद्यालयों में कुछ अध्यापिकाओं को अनिवार्य रूप से नियुक्त किया जाए, बालिकाओं को छात्रावास एवं यातायात के साधनों की सुविधा प्रदान की जाए एवं बालिकाओं के लिए छात्रवृत्तियों एवं व्यवसायिक शिक्षा की योजनाएं आरंभ की जाए, इत्यादि सुझाव दिए। आयोग ने महिलाओं की उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में छात्रवृत्तियों एवं छात्रावासों की व्यवस्था की जाए, बालिकाओं के लिए पूर्व-स्नातक स्तर पर कॉलेजों का निर्माण किया जाए, कला, विज्ञान, तकनीकी, मानव शास्त्र इत्यादि पाठ्य विषयों में से चयन की स्वतंत्रता दी जाए, शिक्षा, गृह विज्ञान एवं सामाजिक कार्य के पाठ्यक्रमों को अधिक आकर्षक बनाया जाए, बालिकाओ को व्यवसायिक प्रबंधन एवं प्रशासन उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर दिए जाए तथा साथ ही एक या दो विश्वविद्यालयों में स्त्री शिक्षा की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना की जाए आदि सुझाव प्रस्तुत किए।

सन 1986 में घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्त्रियों की शिक्षा में व्यापक परिवर्तन लाने की संकल्पना की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महिलाओं की समानता के लिए बालिकाओं के लिए प्रारंभिक शिक्षा का चरणबद्ध कार्यक्रम, विभिन्न पाठ्यक्रमों के अंग के रूप में महिला अध्ययनों को बढ़ावा देना, शिक्षा संस्थाओं को महिला विकास के कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए प्रोत्साहित करना, विभिन्न स्तरों की व्यवसायिक, तकनीकी तथा भौतिक शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी पर विशेष बल देना, लिंग भेद नीति को बढ़ावा नही देना, सन 1995 तक 15 से 35 आयु वर्ग महिलाओं के लिए प्रौढ़ - शिक्षा का एक समयबद्ध एवं चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार करना इत्यादि लक्ष्य निर्धारित किए गए।

वर्ष 1990-1991 में गठित आचार्य राममूर्ति समिति ने महिला शिक्षा पर अध्यापिकाओं की अधिक से अधिक नियुक्ति की जाए, विद्यालय में पोषण, स्वास्थ्य तथा बाल विकास का समावेश किया जाए, विभिन्न स्तरों पर महिला अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाए, महिला शिक्षा के लिए अलग से धन का प्रावधान किया जाए, बालिकाओं के लिए मुफ्त पुस्तकों एवं छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जाए, बालिकाओं के विद्यालय पहुंचने के लिए परिवहन की व्यवस्था की जाए, बालिकाओं के लिए आवास व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाए एवं बालिकाओं के लिए अलग विद्यालयों को स्थापित किया जाए इत्यादि सुझाव दिए।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भारत सरकार द्वारा 2004 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय योजना है। जो बालिकाएँ बीच में ही विद्यालय छोड़ देती हैं तथा जिन की उम्र 10 वर्ष या उससे अधिक हैं, ऐसे बालिकाओं को दुबारा शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया। यह विद्यालय उन शैक्षिक रूप से पिछड़े विकास खंडों में खोले गए, जहाँ अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग की बालिकाओं की संख्या अधिक है और ग्रामीण महिला साक्षरता कम है।

सर्व शिक्षा अभियान एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत भी बालिका शिक्षा की उन्नति के लिए सरकार द्वारा सकारत्मक प्रयास किए गए एवं अब समग्र शिक्षा अभियान एवं नई शिक्षा नीति -2020 में भी बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रयास जारी है।

मानव स्त्री एवं पुरुष का समग्र रूप है।सम्पूर्णता किसी एक में नही बल्कि दोनों के मिलन में है। दोनों के सहयोग से ही सामान्य जीवन का क्रिया-कलाप चलता है। इसलिए पुरुष के साथ-साथ महिलाओं की शिक्षा भी आवश्यक है। अगर महिला भी शिक्षित होगी तभी समाज और राष्ट्र का विकास तीव्र गति से हो सकेगा। प्राचीन काल से वर्तमान तक स्त्री शिक्षा में निरंतर विकास हुआ है लेकिन अभी भी बहुत पीछे है। आज महिलाएँ समाज एवं राष्ट्र के विकास में पुरुषों के बराबर अपनी भागीदारी निभा रही है। आज नारी पढ़ लिखकर सभी क्षेत्रों में सक्षम एवं सशक्त हुई है।

सन्दर्भ सूची :

1) नागौरी एवं नागौरी, *भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में महिलाओं का योगदान*, सुरभि पब्लिकेशन्स, जयपुर

2) पाण्डेय अनुराधा, *महिला सशक्तिकरण*, इशिका पब्लिशिंग हाउस, जयपुर

3) पाण्डेय राम शुक्ल,*शिक्षा के दार्शनिक एवं समाज शास्त्रीय आधार*, अनुभव पब्लिशिंग हाउस, इलाहाबाद

4) शेन्डे हरिदास रामजी, *महिला अधिकार और शिक्षा*, ग्रन्थ विकास पब्लिकेशन्स, जयपुर

5) कमला, *ऋग्वेद में नारी*, निर्मल पब्लिकेशन्स, दिल्ली

6) दशोरा भारती एवं पाठक, *भारत में शिक्षा व्यवस्था तथा विद्यालय संगठन*,अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा

7) सक्सेना उपमा, *महिला सशक्तिकरण –सामाजिक एवं संवैधानिक परिदृश्य*,अध्ययन पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स,नई दिल्ली

8) गोलवलकर शोभा एवं अन्य, *समकालीन भारत एवं शिक्षा (लिंग,विद्यालय एवं समाज)* हिमांशु पब्लिकेशन्स, उदयपुर

9) मित्तल एवं अन्य, *भारतीय इतिहास*,प्रतियोगिता साहित्य सीरीज,साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा

10) श्रीवास्तव के. सी., *प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति*, यूनाइटेड बुक डिपो इलाहाबाद

11) श्रीवास्तव रश्मि, *भारत में महिला शिक्षा सम्बन्धी चुनौतियाँ*, भारतीय आधुनिक शिक्षा, एन.सी.ई.आर.टी., जुलाई 2018

12) https://gyanpradayani.blogspot.com/

13) https://www.drishtiias.com/

14) www.vivacepanorama.com/literacy-rates-in-india-1951-2011